



### कार्यालयादेश

माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में कुलसचिव सभागार में दिनांक-06-12-2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यों के सफल सम्पादन हेतु बैठक आहूत की गई, जिसमें सत्र 2024-2025 की विषम सेमेस्टर के आयोजन, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश दिये गये।

1. सभी कक्षाओं की सत्र 2024-2025 की परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के आन्तरिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन ही प्रवृष्टि किये जायेंगे, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाये कि अंकों की प्रवृष्टि सही हो तथा किसी भी छात्र-छात्रा के अंक प्रवृष्टि होने से वंचित न रह जाए, साथ ही परीक्षा में अनुपस्थित छात्र-छात्राओं का सत्यापन पूर्ण सर्तकता से कर लिया जाए। उक्त सम्बन्ध में परिसरों/संस्थानों को पत्र व्यवहार कर सूचित कर दिया जाए।
2. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अविलम्ब एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाय, जिससे परीक्षाफल निर्धारित तिथि में घोषित किया जा सके।
3. छात्र-छात्राओं की उपाधि एवं अंकतालिकाओं हेतु सम्बन्धित डाटा अविलम्ब **Digi-Locker** पर उपलब्ध करवा दिया जाए। जिससे कि छात्र-छात्राओं को उक्त सुविधा प्रदान की जा सके।
4. **ABC-ID** हेतु सम्बन्धित परिसरों एवं संस्थानों से **ABC-ID** की अनिवार्यता हेतु निर्धारित समयावधि घोषित कर **ABC-ID Generate** करवा दी जाए, जिससे छात्र-छात्राओं के क्रेडिट नैड (**NAD**) में उपलब्ध करवाये जा सके।
5. प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में यू0जी0/पी0जी0 फाट्यक्रमों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की अंकतालिका के साथ ही उपाधियां मुद्रित कर निर्गत की जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को सुविधा हो, तत्पश्चात् अन्य सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर भी विचार किया जाएगा।
6. डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र से छात्र-छात्राओं की संख्या प्रश्न-पत्रवार/संस्थावार प्राप्त कर उत्तर-पुस्तिकाओं को जांचने के बाद परीक्षकों से ऑनलाइन अंकों की प्रवृष्टि हेतु परीक्षकों को दिये जाने वाले कोड एवं आई0डी0 की तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए।
7. मूल्यांकन कार्य में नियुक्त परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात् अनुक्रमांक के अनुसार अंकों की प्रवृष्टि ऑनलाइन मोड पर की जाए। यह भी अपेक्षा की जाती है कि किसी भी छात्र-छात्रा के अनुक्रमांक व अंक प्रवृष्टि से वंचित न रह जाए।
8. डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम को सुरक्षित (**Secure**) करें, जिससे ऑनलाइन अंकित अंकों में फेर-बदल सम्भव न हो सके।
9. ऑनलाइन अंकों को **Lock** करने के बाद **Unlock** परीक्षा नियंत्रक की अनुमति पर ही संभव होगा। इस आशय का पत्र सभी प्राचार्य/निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



10. केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा बंडलों के अन्दर प्रायः सही प्रश्न-पत्र कोड एवं विषय की उत्तर-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हैं, इस सम्बन्ध में उन्हें निर्देश जारी किये जाए, जिससे उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में व्यवधान उत्पन्न न हों।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/मुख्य नियन्ता बिड़ला परिसर/परिसर निदेशक पौड़ी, टिहरी परिसर/समस्त प्राचार्य/निदेशक सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/मुख्य नियन्ता/मुख्य केन्द्राध्यक्ष/समस्त केन्द्राध्यक्ष
9. प्रोग्रामर/प्रभारी, डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र/ई0गर्वनेन्स को सूचनार्थ।
10. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देने का कष्ट करें।
11. वित्त अधिकारी/ उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा) के सूचनार्थ प्रेषित।
12. निजी सचिव कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
13. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ।
14. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक